(9) विकलांगता पहचान पत्र
Identity Card to Disabled

उद्देश्य विकलांगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं/सुविधाओं के लाभ उठाने हेतु।

प्रक्रिया

- इच्छुक विकलांग व्यक्ति को सम्बन्धित जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में गठित चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत हो कर अपनी चिकित्सा जांच करवानी होगी। जांच के लिये सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दो फोटो सहित आवेदन करना होगा तथा बोर्ड द्वारा 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता के आंकलन की स्थिति में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किये जाते है।
- विकलांगता पहचान पत्र जारी करवाने के लिये सम्बन्धित व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन देना होगा जिसके साथ आयु प्रमाण पत्र, स्थाई पते का प्रमाण तथा 20/–रु0 (कार्ड का मुल्य) विकलांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी को सीधे या पंचायत स्तर पर स्थापित लोक मित्र केन्द्र के माध्यम से जमा करवाना होगा।

सम्पर्क–अधिकारी जिला कल्याण अधिकारी/तहसील कल्याण अधिकारी/सम्बन्धित पंचायत में स्थापित लोक मित्र केन्द्र।